कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 313 / खनिज / 2024 मऊगंज, दिनांक २०-११-२४

प्रति

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स,
प्रो. श्री ललित पंघाल
निवासी मकान नंबर 975 / 76 सेक्टर 13,
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

विषय :– ग्राम सरदमन तहसील हनुमना जिला रीवा के खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) रकवा 03.400 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) का उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र क्रमांक 781 दिनांक 18.12.2020 के निराकरण विषयक ।

संदर्भ :– 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 444 / खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5939 / खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.10.2021
2. आपका पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं 14.11.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम सरदमन तहसील हनुमना जिला रीवा के खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) रकवा 03.400 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 11.12.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

वन मण्डलाधिकारी रीवा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि है जो कि खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) के अंतर्गत है। प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर रीवा जिले के ग्राम सरदमन तहसील हनुमना खसरा नं. 677 / 2क पी. (वन भूमि) रकवा 03.400 हे० में से उपलब्ध रकवा 02.800 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धान्तिक सहमति संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2021 एवं 11.10.2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक से 31.01.2026 तक की अवधि के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग के अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात् ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित्त)

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला रीवा (म0प्र0)